न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 115/2011

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हरसहाय, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पाटोली तहसील महवा जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच. 11 पी.आई.यू. जयपुर कार्यालय 156, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ वैशाली नगर जयपुर।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी महवा।
3. आई जे एम इण्डिया इनफ्रास्ट्रेक्चर कम्पनी लिमिटेड, नवोदय विद्यालय के सामने बेस कैम्प खेडली तहसील व जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत मुआवजा राशि दिलवाने बाबत।

उपस्थिति– 1. श्री मानसिंह गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 02.12.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत मुआवजा राशि दिलवाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम पाटोली तहसील महवा में आराजी खसरा नम्बर 435 भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 435 में प्रार्थी का कुआ स्थित था जिससे प्रार्थी का उक्त खेत व अन्य बिलों की पिलाई होती थी। प्रार्थी ने अपने उक्त कुऐ पर इंजन लगा रखा था। जिससे प्रार्थी अन्य खातेदारों को किराये पर पानी की सप्लाई कर पैसा लेकर अपना जीवन यापन करता था। प्रार्थी का उक्त कुआं एन.एच. 11 के फोरलेनीकरण की अवाप्ती से मुक्त था परन्तु फिर भी विपक्षी सं. 03 ने यह कहते हुये कि यह कुआं अवाप्ती में है उस कुऐ को नष्ट कर दिया व कुऐ को जबरन मिट्टी से भरकर समतल कर दिया। प्रार्थी ने 10 लाख रूपये खर्च करके अपना कुआ बनाया था। जिससे प्रार्थी के खेतों की सिंचाई होती थी तथा अन्य लोगों को पानी किराये पर देकर अपना जीवन यापन करता था। जब प्रार्थी के उक्त कुऐ को विपक्षी सं. 03 ने मिट्टी से भरकर समतल कर दिया तो प्रार्थी ने मुआवजा बाबत् विपक्षी सं. 02 के समक्ष निवेदन किया तो विपक्षी सं. 02 ने प्रार्थी को सन्तोषजनक जवाब नही दिया। इसके उपरान्त प्रार्थी लगातार विपक्षी सं. 1 लगा0 3 के कार्यालयों में चक्कर लगाता रहा। परन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थी को कोई जवाब नही दिया। दिनांक 08.08.2011 को पुनः प्रार्थी उक्त कार्यालयों में गया तो उक्त कार्यालयों के अधिकारियों ने प्रार्थी को मना कर दिया की हम आपको मुआवजा नही दे सकते। इससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी ने उक्त कुऐ का मुआवजा राशि दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी टोडाभीम से टिप्पणी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम पाटोली तहसील महवा में प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 435 में प्रार्थी का कुआ स्थित था जिससे प्रार्थी का उक्त खेत व अन्य बिलों की पिलाई होती थी। प्रार्थी ने अपने उक्त कुऐ पर इंजन लगा रखा था। जिससे प्रार्थी अन्य खातेदारों को किराये पर पानी की सप्लाई कर पैसा लेकर अपना जीवन यापन करता था। प्रार्थी का उक्त कुआं एन.एच. 11 के फोरलेनीकरण की अवाप्ती से मुक्त था परन्तु फिर भी विपक्षी सं. 03 ने यह कहते हुये कि यह कुआं अवाप्ति में है उस कुऐ को नष्ट कर दिया व कुऐ को जबरन मिट्टी से भरकर समतल कर दिया। प्रार्थी ने 10 लाख रूपये खर्च करके अपना कुआ बनाया था। जिससे प्रार्थी के खेतों की सिंचाई होती थी तथा अन्य लोगों को पानी किराये पर देकर अपना जीवन यापन करता था। जब प्रार्थी के उक्त कुऐ को विपक्षी सं. 03 ने मिट्टी से भरकर समतल कर दिया तो प्रार्थी ने मुआवजा बाबत् विपक्षी सं. 02 के समक्ष निवेदन किया तो विपक्षी सं. 02 ने प्रार्थी को सन्तोषजनक जवाब नही दिया। इसके उपरान्त प्रार्थी लगातार विपक्षी सं. 1 लगा0 3 के कार्यालयों में चक्कर लगाता रहा। परन्तु विपक्षीगण ने प्रार्थी को कोई जवाब नही दिया। दिनांक 08.08.2011 को पुनः प्रार्थी उक्त कार्यालयों में गया तो उक्त कार्यालयों के अधिकारियों ने प्रार्थी को मना कर दिया की हम आपको मुआवजा नही दे सकते। प्रार्थी को 10 लाख रूपये कुऐं की मुआवजा राशि मय 40 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार व 18 प्रतिशत ब्याज बतौर मुआवजा दिलवाये जाने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि जब प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 435 पूर्णतया अवाप्ती की समस्त कार्यवाही से मुक्त थी तो ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई कार्य किया जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 3ए व 3डी अधिसूचना में उक्त वादग्रस्त आराजीयात की अवाप्ति बाबत कोई उल्लेख नहीं था। मिनउत्तरदाता द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर ही सडक निर्माण कार्य करवाया जाता है। कन्सेशनर द्वारा यदि अवाप्तशुदा भूमि के अतिरिक्त भूमि पर कार्य किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी कन्सेशनर की ही होती है। इसी आशय का कन्सेशनर एग्रीमेन्ट केन्द्र सरकार व कन्सेशनर के मध्य हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी नितान्त ही मनगढन्त आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। जो स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 147 दिनांक 22.02.19 में अंकितानुसार खसरा नम्बर 435 ग्राम पाटोली राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्रस्तावित नहीं था। कुए की लागत 10 लाख रूपये गलत दर्ज की गई है। प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना नहीं पाया जाता है। भूमि राजमार्ग के लिए अवाप्त ही नही की गई है तो नियमानुसार मुआवजा देय नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 दौसा–महवा चारलाईन विस्तार हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही वर्ष 2005–2006 में की गई थी तथा प्रभावित काश्तकारान को मुआवजा वितरण वर्ष 2007 में किया गया था। यदि प्रार्थी के खसरा नम्बर 435 में कुआं को आई जे एम कम्पनी या उसके प्रतिनिधि द्वारा जबरन मिट्टी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भरकर समतल किया गया था, तो तत्समय ही प्रार्थी द्वारा कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई अवाप्ति की कार्यवाही माह 09/2007 मे पूर्ण होने के चार वर्ष बाद वर्ष 2011 में प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया गया है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से खसरा नम्बर 453 में से 1380 वर्गमीटर भूमि राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी। जिसकी मुआवजा राशि 168953/–रूपये वर्ष 2007 में ही भुगतान चैक संख्या 636 से किया जा चुका है। अवाप्तिधीन भूमि की सूची में ग्राम पाटोली का खसरा नम्बर 435 अवाप्तिधीन भूमि में अधिसूचित नहीं होने के कारण मुआवजा देय नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर 435 ग्राम पाटोली की भूमि अवाप्त नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम की रिपोर्ट के अनुसार यदि प्रार्थी के खसरा नम्बर 435 में कुआं को आई जे एम कम्पनी या उसके प्रतिनिधी द्वारा जबरन मिट्टी भरकर समतल किया गया था, तो तत्समय ही प्रार्थी द्वारा कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? अवाप्ति की कार्यवाही माह 09/2007 मे पूर्ण होने के चार वर्ष बाद वर्ष 2011 में प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने कथन के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे प्रार्थी के कथन की पुष्टि की जा सकें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा